**भारत सरकार**
**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या *312**
**दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**सक्रिय भेषज सामग्री का आयात**

***312. श्रीमती भारती पारधीः**
**श्री राजकुमार चाहरः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयतित सक्रिय भेषज सामग्री (एपीआई) पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार की प्रमुख नीतियां और पहल क्या हैं;
(ख) आयतित एपीआई पर निर्भरता कम करने और देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) एपीआई विनिर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे उपयोगी सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की सुलभता आदि के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) सरकार द्वारा विशेषकर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों की निरंतर और किफायती आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;
(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में कोई नीतिगत परिवर्तन या पहल आरंभ करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो इन पहलों का ब्यौरा क्या है और इनसे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

**उत्तर**
**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

**(क) से (च):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**सक्रिय भेषज सामग्री का आयात के संबंध में श्रीमती भारती पारधी और श्री राजकुमार चाहर द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

भारत सरकार ने आयातित एपीआई पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ("बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना") का वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है और उत्पादन अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है। वित्तीय प्रोत्साहन चिन्हित उत्पादों के विनिर्माण के लिए दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, कुल 48 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 34 परियोजनाएं 25 बल्क औषधियों के लिए शुरू की गई हैं। 3,938.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, इस योजना के अंतर्गत 4,253.92 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 1,556.04 करोड़ रुपये है, जिसमें 412.42 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

(ii) औषध के लिए पीएलआई योजना, जिसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और उत्पादन अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है, तीन श्रेणियों के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को छह वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उत्पाद श्रेणी दो में एपीआई/केएसएम/डीआई शामिल हैं, सिवाय उन पात्र उत्पादों के जो पहले से ही बल्क औषधियों संबंधी पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल हैं। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, श्रेणी दो के उत्पादों के लिए आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 53,035 करोड़ रुपये है जिसमें 32,627 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

(iii) बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन योजना के अंतर्गत, तीन बल्क औषधि पार्कों, भरूच (गुजरात), नक्कापल्ली (आंध्र प्रदेश) और ऊना (हिमाचल प्रदेश) जिलों में प्रत्येक में एक, के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार प्रत्येक पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये पार्क विकास के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं के तहत समर्थित साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवरेज उपचार संयंत्र, भाप उत्पादन और आपूर्ति, उपचार भंडारण और निपटान सुविधाएं, सोल्वेंट रिकवरी प्रणाली, कच्चे पानी की आपूर्ति, उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं।

उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम की शुरूआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और महीना-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है।

(iii) देश भर में सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसे एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली कहा जाता है।

(iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) तथा उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है तथा राज्य सरकारों के यथा निर्देशानुसार उर्वरकों को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, यूरिया की सस्ते मूल्यों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, यूरिया सब्सिडी योजना के तहत, किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया के 45 किलोग्राम के बैग की एमआरपी 242 रुपए प्रति बैग है (नीम कोटिंग और लागू करों के लिए शुल्क को छोड़कर)। खेत में प्राप्त यूरिया की आपूर्ति की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार मूल्य के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातकर्ता को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, पोषक तत्व सामग्री के आधार पर, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर निर्धारित की गई एक निश्चित धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। पीएंडके क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और उर्वरक कंपनियों को उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है। उर्वरक कंपनियां बाजार की गतिशीलता के अनुसार उर्वरकों का निर्माण/आयात करती हैं। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर नज़र रखती है और किसानों को पीएंडके उर्वरकों की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को शामिल कर लिया जाता है।

हाल के भू-राजनीतिक संकट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण उर्वरकों की आपूर्ति में बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ, खरीफ 2024 के मौसम में किसानों को पीएंडके उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। जुलाई 2024 में, सरकार ने एनबीएस दरों से परे, दिनांक 1.4.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए 3,500 प्रति मीट्रिक टन की दर से डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज के माध्यम से नियमित आयात सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए, जिसे अब किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31.3.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इस संबंध में कोई आगामी नीतिगत बदलाव या सरकारी पहल नहीं है।

*****